बिहार सरकार

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

आदेश

विभागीय पत्रांक–प्र06–विविध–61/2025–2141 दिनांक–28.08.2025 द्वारा दिनांक–29.08.2025 को Zero Office Day के तहत विशेष निरीक्षण अभियान तथा दिनांक–02.09.2025 से 09.09.2025 तक नियमित निरीक्षण करने का स्पष्ट निदेश दिया गया था। इस निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि लाभुकों को सरकार द्वारा निर्धारित मात्रा एवं गुणवत्तायुक्त खाद्यान्न प्राप्त हो रहा है अथवा नहीं। निरीक्षण अभियान के उपरान्त "Zero Office Day Inspection : Block-wise Discrepancy Report (29.08.2025 to 10.09.2025)" की समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि सुश्री/श्रीमती हेमावती, आपूर्ति निरीक्षक, बड़हरा, भोजपुर प्रखंड अन्तर्गत आने वाले जन वितरण प्रणाली दुकानों में चालू माह के लिए कुल–19 लाभुकों के बीच खाद्यान्न का वितरण नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त 19 लाभुकों द्वारा निर्धारित मात्रा से कम खाद्यान्न का वितरण किया जाना, 11 लाभुकों द्वारा निकृष्ट गुणवत्ता का खाद्यान्न वितरित किये जाने तथा 58 स्टॉक में अन्तर संबंधित शिकायत/मामले दर्ज हैं।

अपने क्षेत्र के लाभुकों को ससमय निर्धारित मात्रा में गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्नों का वितरण सुनिश्चित कराने के लिए सुश्री/श्रीमती हेमावती सीधे तौर पर उत्तरदायी हैं। खाद्यान्न वितरण एवं स्टॉक के संधारण में पायी गयी अनियमितता यह दर्शाता है कि सुश्री/श्रीमती हेमावती द्वारा अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन में घोर लापरवाही एवं उदासीनता बरती गयी है। उक्त तथ्य यह भी इंगित करता है कि सुश्री/श्रीमती हेमावती द्वारा अपने मूल कर्त्तव्य यथा–जन वितरण प्रणाली दुकानों के सम्यक् अनुश्रवण की घोर उपेक्षा की गयी है। यह स्थिति अत्यन्त ही खेदजनक एवं अस्वीकार्य है। फलतः सुश्री/श्रीमती हेमावती, आपूर्ति निरीक्षक, बड़हरा, भोजपुर के विरूद्ध प्रथम दृष्टया प्रमाणित उक्त आरोप के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथासंशोधित) के नियम–9(1)(क) के तहत उन्हें निलंबित करने का निर्णय लिया लिया जाता है।

2. निलम्बन अवधि में सुश्री/श्रीमती हेमावती का मुख्यालय उप निदेशक (खाद्य) का कार्यालय, पटना प्रमंडल, पटना रहेगा ।

3. निलम्बन अवधि में सुश्री/श्रीमती हेमावती को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के प्रावधानों के अनुसार अनुमान्य जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा ।

4. आदेश पर प्रधान सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना, का अनुमोदन प्राप्त है ।

12/09/2025

(रवीन्द्र कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक– प्र08–गो0आ0(निरीक्षण)–17/2025– 2365 खाद्य, पटना/दिनांक– 12/09/25

प्रतिलिपि–प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, भोजपुर/जिला आपूर्ति पदाधिकारी, भोजपुर/उप निदेशक (खाद्य), पटना प्रमंडल, पटना/अनुमंडल पदाधिकारी, आरा सदर/प्रशाखा पदाधिकारी–03/आई0टी0 मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना तथा सुश्री/श्रीमती हेमावती, आपूर्ति निरीक्षक, बड़हरा, भोजपुर, E-Mail - hemay21@gmail.com, Mobile No. 6299498810 (निलंबन अवधि में मुख्यालय उप निदेशक (खाद्य) का कार्यालय, पटना प्रमंडल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

12/09/2025

सरकार के संयुक्त सचिव ।